

बसंत पंचमी से पहले सोना-चांदी धड़ाम

15,000 रुपए सस्ती हुई चांदी
2,499 रुपए नीचे आया सोना



आम खरीदारों के लिए बड़ी राहत

सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला 22 कैरेट (916) सोना 2,499 रुपये सरता होकर 1,38,773 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. इसके अलावा 18 कैरेट (750) सोना 2,046 रुपये घटकर 1,13,624 रुपये और 14 कैरेट (585) सोना 1,596 रुपये सरता होकर 88,627 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. यानी हर शुद्धता में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है, जो आम खरीदारों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. सबसे चौकाने वाली गिरावट चांदी में देखने को मिली है. चांदी (999 शुद्धता) की कीमत प्रति किलो में 15,500 रुपये से ज्यादा टूट गई है. हालांकि, इसके बावजूद चांदी का भाव अभी भी 3 लाख रुपये प्रति किलो के पार बना हुआ है, जो इसकी ऊंची मांग और निवेशकों की दिलचस्पी को दर्शाता है.

गिरावट ऐसे समय पर आई है जब लोग त्योहार और शादियों के लिए ज्वेलरी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं. 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सोने के भाव में 1,500 से 2,700 रुपये तक की कमी आई है. खासतौर पर 22 कैरेट सोना, जो ज्वेलरी बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वह एक ही दिन में 2,499 रुपये सस्ता हो गया है. वहीं, चांदी की कीमत में आई बड़ी गिरावट ने निवेशकों और आम खरीदारों दोनों को चौंका दिया है.

सराफा बाजार के जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में नरमी, डॉलर वैडिक्स की मजबूती और वैश्विक आर्थिक संकेतों का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है.

रुपया 68 पैसे टूटकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर

मुंबई, 22 जनवरी, अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया बुधवार को 68 पैसे टूटकर ऐतिहासिक निचले स्तर 91.65 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ. भारतीय मुद्रा आठ पैसे नीचे 91.05 रुपये प्रति डॉलर पर खुली और इसके बाद लगातार कमजोर होती गयी. बीच कारोबार में यह पहली बार 91.7475 रुपये प्रति डॉलर तक उतर गयी थी. कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 91.65 रुपये का बोला गया. रुपया लगातार छठे दिन कमजोर हुआ है. मंगलवार को यह सात पैसे टूटकर 90.97 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. छह दिन में रुपया 147.50 पैसे टूटा है. कच्चे तेल और सोने में जारी तेजी से रुपये पर दबाव रहा. हालांकि समूह में शामिल है. उन्होंने कहा कि एआई में निवेश पर लाभ केवल बहुत बड़े मॉडल बनाने से नहीं, बल्कि उद्यम-स्तर पर उसके

एआई की ताकत में भारत दुनिया में सबसे आगे

नई दिल्ली, 22 जनवरी. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रभावी उपयोग को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल की ताकत बताते हुए कहा है कि भारत एप्लिकेशन स्तर पर सेवाएं प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बनेगा.

श्री वैष्णव ने मंगलवार को दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में एआई पावर प्ले, नो रेफरेंस शीफक पर आयोजित परिचर्चा के दौरान वैश्विक एआई गठबंधनों और भू-राजनीति से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि एआई के मामले में भारत स्पष्ट रूप से विकसित देशों के अग्रणी समूह में शामिल है. उन्होंने कहा कि एआई में निवेश पर लाभ केवल बहुत बड़े मॉडल बनाने से नहीं, बल्कि उद्यम-स्तर पर उसके



श्री वैष्णव ने भू-राजनीति में एआई की भूमिका की चर्चा करते हुए कहा, जिसे मैं पांचवीं औद्योगिक क्रांति कहता हूँ, उससे आर्थिक लाभ अधिकतम संभव रिटर्न पाने के लिए निम्नतम लागत समाधान लागू करने से आयेगी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई के प्रभावी इस्तेमाल से तेजी से सीपीयू, छोटें मॉडल और उभरते कर्टम सिलिकॉन पर निर्भर करने लगी है, जिससे किसी एक देश पर निर्भरता कम होती है और केवल आकार के आधार पर एआई के प्रभुत्व की धारणा को चुनौती मिलती है. मंत्री ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार जीवन और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में एआई के प्रसार को प्रणालीगत तरीके से आगे बढ़ा रही है.

उन्होंने बताया कि एआई ढांचे में पांच स्तर होते हैं - एप्लिकेशन, मॉडल, चिप, अवसंरचना और ऊर्जा. भारत इन सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और एप्लिकेशन के स्तर पर संभवतः विश्व को सेवाएं प्रदान करने वाला सबसे बड़ा देश होगा.

उन्होंने कहा कि लगभग 95 प्रतिशत एआई उपयोग मामलों को 20-50 एप्लिकेशन मॉडलों रेंज के मॉडलों से हल किया जा सकता है, जिनमें से कई मॉडल भारत के पास पहले से ही मौजूद हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किये जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि एआई ढांचे में पांच स्तर होते हैं - एप्लिकेशन, मॉडल, चिप, अवसंरचना और ऊर्जा. भारत इन सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और एप्लिकेशन के स्तर पर संभवतः विश्व को सेवाएं प्रदान करने वाला सबसे बड़ा देश होगा.




किफायती आवास के लिए कर छूट जरूरी

नई दिल्ली, 22 जनवरी. राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नरेडको) ने सभी को आवास मुहैया कराने के सपने को साकार करने के लिए सरकार से करों में छूट देने, आयकर की कुछ धाराओं में सुधार तथा किराये पर आवास के लिए नीति निर्माण का अनुरोध किया है. नरेडको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने यहां गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों लोगों को घर मिला है, लेकिन सबके लिए अपना घर का लक्ष्य अब भी काफी दूर है. जमीन की ऊंची कीमतों के कारण बिल्डरों के लिए किफायती आवास बनाना अब संभव नहीं है. इसलिए सरकार को नियमों में बदलाव, कर प्रोत्साहन और किराये पर आवास के विकल्प पर विचार करना

विश्वनाथ न्यास ने लॉन्च किया एआई चैटबॉट

वाराणसी, 22 जनवरी. विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने एक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है.



इस तकनीक के माध्यम से बाबा के भक्त अब दुनिया के किसी भी कोने से मंदिर से जुड़ी जानकारी और सेवाएं अपनी उंगलियों पर प्राप्त कर सकेंगे. यह चैटबॉट मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जो कई सेवाएं प्रदान करेगा. सुगम दर्शन और आरती बुकिंग के लिए श्रद्धालु अब सीधे चैटबॉट के माध्यम से सुगम दर्शन, मंगला आरती और अन्य विशेष आरतियों को बुकिंग प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. घर बैठे बाबा का प्रसाद मंगवाने के लिए यह चैटबॉट त्वरित मार्गदर्शन प्रदान करेगा.

मंदिर का समय और मार्ग मंदिर खुलने, बंद होने और विभिन्न अनुष्ठानों के समय की सटीक जानकारी 24/7 उपलब्ध होगी. वाराणसी आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए न्यास के अतिथिगृहों की उपलब्धता और बुकिंग में सहायता मिलेगी.

गुजरात में रेलवे अवसंरचना का हुआ तीव्र विकास

मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने दी जानकारी

नई दिल्ली, 22 जनवरी . गुजरात में रेलवे अवसंरचना के विकास कार्य अतृप्तपूर्व गति से आगे बढ़ रहे हैं. वर्ष 2014 से पूर्व जहां वार्षिक पूंजीगत व्यय लगभग 539 करोड़ था, वहीं वर्तमान में यह बढ़कर 17,155 करोड़ तक पहुंच गया है, जो लगभग 29 गुना वृद्धि को दर्शाता है.



मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने दी जानकारी

देश-विदेश से आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए यह चैटबॉट हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है. इस उपलब्धि पर मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण ने कहा, काशी अब पुरातन परंपराओं के साथ आधुनिक तकनीक का संगम बन रही है. इस चैटबॉट का उद्देश्य भक्तों और मंदिर प्रशासन के बीच की दूरी को कम करना है.

पश्चिम रेलवे के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में दो महत्वपूर्ण नई रेल लाइन देशलपर-हाजीपीर-लूना (81.771 किमी) एवं वायोरे-लखपट (62.686 किमी) नई ब्रांडोजन

उन्होंने बताया कि नरेडको ने आगामी बजट के लिए ये सभी सुझाव सरकार के समक्ष रखे हैं. नरेडको के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि हम लोन पर ब्याज पर कर छूट की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाना चाहिये. उन्होंने कहा कि केमिशन 80सी के तहत प्रोत्साहन और स्टॉप वॉरटी तथा अर्ध-शुल्कों में सौकी की जानी चाहिये. उन्होंने महंगी जमीन के समाधान के रूप में निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत प्लेटेड बनाने की वकालत की.

शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी

मुंबई, 22 जनवरी. ग्रीनलैंड पर अमेरिका के रुख में नरमी से घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में जबरदस्त तेजी देखी गयी और बीएसई का संसेक्स 800 अंक से ज्यादा उछला.

फैसला पलटने और ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए बल प्रयोग से इनकार के बाद भारतीय शेयर बाजारों में निवेश धारणा मजबूत हुई है. रुपये में तेजी लौटने से भी बाजार को समर्थन मिला. भारतीय मुद्रा फिलहाल 10 पैसे की बढ़त में 91.55 रुपये प्रति डॉलर के यूरोप पर आयात शुल्क लगाने का

डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर बंद हुआ था. संसेक्स 550.03 अंक की मजबूती के साथ 82,459.66 अंक पर खुला. कुछ ही देर में यह 874 अंक ऊपर 82,783 अंक पर पहुंच गया. पिछले कारोबारी दिवस के मुकाबले 787.58 अंक (0.96 प्रतिशत) चढ़कर 82,697.21 अंक पर था.

पेज एक का शेष

पूजा और नमाज एक साथ : सुको

इसके बाद मुस्लिम समुदाय के सदस्य परिसर खाली कर देंगे. अपर महाधिवक्ता (एएसजी) के एम नटराज और मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता (एसजी) ने अदालत को आश्वासन दिया कि कानून-व्यवस्था बनायी रखी जाएगी. जब जैन ने सुझाव दिया कि बिना बाधा के पूजा जारी रखने के लिए नमाज 5 बजे के बाद हो तो खुशी से नही किया जुमे की नमाज का खास वक्त होता है, इसलिए 5 बजे के बाद ऐसा करने में कठिनाई आयेगी और इसे पुनर्निर्धारित नहीं किया जा सकता. समझौते को रिकॉर्ड करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि दोपहर 1 से 3 बजे के बीच उसी परिसर के भीतर नमाज के लिए एक विशेष और अलग क्षेत्र उपलब्ध कराया जाए, जिसमें अलग प्रवेश और निकास हो. हिंदू समुदाय के लिए भी वसंत पंचमी की रस्में अदा करने के लिए अलग स्थान चिह्नित करने का निर्देश दिया.

दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील: न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि प्रशासन उचित उपाय करे. इसमें पास जारी करना भी शामिल है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. पीठ ने दोनों समुदायों से अपील की कि वे आपसी सम्मान रखें और शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य और जिला प्रशासन के साथ सहयोग करें.

--आम-सूचना--

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सुरेश कुमार शर्मा आत्मज स्व. श्री आर.डी. शर्मा, निवासी-63, दानिश कुंज, कोयार रोड, भोपाल, म.प्र. का हूँ। मेरे पुत्र संदीप शर्मा तथा पुत्रवधू श्रीमती नेहा द्वारा मेरे और मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं किसी प्रकार के कोई उत्तरदायित्व का निर्वाहन नहीं किया जाता है। इस कारण हम दोनों पति पत्नी मेरे पुत्र संदीप शर्मा व पुत्रवधू नेहा से सदैव के लिए सभी प्रकार के संबंध विच्छेद कर रहे हैं। आज के बाद हमारा कोई संबंध पुत्र संदीप व पुत्रवधू नेहा से नहीं रहेगा। न ही आज के उपरान्त हमारी समस्त चल अचल संपत्ति में भी किसी प्रकार का कोई अधिकार दोनों को होगा। यदि उक्त दोनों के द्वारा हमारी संपत्ति पर किसी प्रकार का दावा किया जाता है तो वह शून्य होगा एवं उनके किसी भी कार्य हेतु हम पति पत्नी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।
Neeraj Purohit Advocate
4th Floor, Z-6, Shriji Tower Zone- 1, MP Nagar, Bhopal Mob-8839512824

भारतीय स्वाद्य निगम
क्षेत्रीय कार्यालय, वेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
दूरभाष: 0755-2573444, फैक्स: 0755-2573418, ईमेल: gmpm.fci@gov.in
क्र. एसएंडसी/15/आरटीसी/एनआईटी/2025/35 एवं दिनांक: 23.01.2026
क्र. एसएंडसी/15/आरटीसी/एनआईटी/2026/01
निविदा आमंत्रण सूचना
मध्यप्रदेश से अन्य राज्यों के विभिन्न गंतव्यों हेतु नियमित सड़क परिवहन ठेकेदार (RTC) की दो वर्ष की अवधि हेतु निष्पत्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। कार्य की जानकारी, महत्वपूर्ण तिथियां, ईमईए एसीडी एवं निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है। किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।
महाप्रबंधक (क्षेत्र)

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय: मोतीलाल ओसवाल टावर, श्रीमत्तुलनाह सयानी रोड, एसीटी चिपों के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025. Email: hfquery@mottilaloswal.com. सीआईएस संख्या: AE5923MH2013PLC248741
ई-नीलामी सह विक्री के लिए सार्वजनिक सूचना
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ पंजित, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की विक्री हेतु 15 दिनों की ई-नीलामी विक्री सूचना।
कच्छा कृष्ण प्रदा, श्रीमती मारुती बाई वृष डेवरी (अर्धसंपत्ति) के अंतर्गत अचल संपत्तियों को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एप्सायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को विपरीत रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के व्याज, शुल्क और लागत आदि की पसंदी के लिए "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर "अंतिम 5 ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पंजित, नीचे विस्तार से बताया गया है।
ई-नीलामी की तिथि और समय: 16.02.2026 / सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के लिए अंतिम बidding बंद कर दिया जाएगा)
सू. उधारकर्ता/गारंटर/ ऋण खाता मांग सूचना की तिथि अचल संपत्ति का विवरण अंतिम बidding, ईमेल और एमटीएफ जमा करने की अंतिम तिथि
LAN: 12.12.2024 के लिए कर्नर पर स्थित संपत्ति प्लॉट संख्या 129, खसरा आरक्षित संख्या: 4,70,000/- (चार लाख सतर हजार मात्र) (8819922304) और मुकदमा नंबर (9372704710) से संकेत कर सकते हैं, जिनका विवरण उपरोक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। ये उनके केंद्रीय सहायता डेस्क: +91 83709 69696, ईमेल आईडी: contact@auctionbazaar.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।
अनुवाद में कृपया विस्तारित होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा प्राधिकृत अधिकारी, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (पहले एप्सायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) दिनांक: 23.01.2026

ESAF
ESAF SMALL FINANCE BANK
पंजीकृत. कार्यालय: ईएसएफ भवन, मन्गुडी, विशु- 680 651, केरल
कच्चा सूचना (नियम 8 (1))
जबकि अधोहस्ताक्षरी, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सूचना हित अधिनियम, 2002 के तहत निष्पत्ति, संपत्ति के अंतर्गत अचल संपत्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पंजा जाए, तो उल्लिखित तिथि को धारा 13(2) के तहत प्रत्येक संबंधित उधारकर्ता/ओं, बंधककर्ता/ओं, गारंटर/ओं के विरुद्ध मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रत्येक खाते के विरुद्ध उल्लिखित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
ऋणकर्ताओं/गिरवीदारों/गारंटर्स द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, उक्त और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और नियम 8 के तहत प्रत्येक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति पर प्रत्येक खाते में उल्लिखित तिथियों से कच्चा कर लिया है। ऋणकर्ताओं/गिरवीदारों/गारंटर्स को विशेष रूप से आम जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। ऋणकर्ताओं/गिरवीदारों/गारंटर्स का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।
स.क्र. सं. 1 ऋण खाता क्रमांक एवं शाखा: 742400000026764-सोहोरा
उधारकर्ता/गारंटर/ उधारकर्ता का नाम और पता: (1) अधिसूचना ट्रेडिंग कंपनी, इसके मालिक द्वारा प्रतिनिधित्व, सुनील कुमार जैन, मंडी ग्रांणज, अग्र, सोहोरा, मध्य प्रदेश 466116, वही भी: सुनील किमर जैन, मंडी गेट के सामने, सुभाष नगर, अग्र, सोहोरा, मध्य प्रदेश - 466116 (2) अनोमा जैन, पत्नी सुनील कुमार जैन, सुभाष नगर, अग्र, सोहोरा, मध्य प्रदेश-466116 (3) धर्मदेव जैन, पुत्र, सुनील कुमार जैन, सुभाष नगर, अग्र, सोहोरा, मध्य प्रदेश-466116।
मांग सूचना की तिथि: 17.10.2025 कच्चा प्राप्त करने की तिथि: 19.01.2026
बकाया राशि (दिनांक 29/09/2025): ₹. 1,51,32,895.47/- (एक करोड़ इक्यावन लाख वतीस हजार आठ सौ पिनचानवे और सैतालीस पैसे मात्र) और अर्जित व्याज, भविष्य का व्याज और अन्य शुल्क
सूचित संपत्तियों का विवरण: संपत्ति- 1: 1350 वर्ग फुट के आवासीय सह वाणिज्यिक भवन सहित, न्यू खसरा संख्या 649/2/25 (एस) और खसरा संख्या 649/2/25 में स्थित, ग्राम कच्चा अग्र, तहसील अग्र, जिला सोहोरा, राज्य मध्य प्रदेश में सुनील कुमार जैन और अनोमा जैन के नाम पर, युक्त संख्या 1ए, खंड संख्या 1025, दस्तावेज संख्या 1344 और पृष्ठ संख्या 05 से 11 के अनुसार, भूमि का वह पूरा टुकड़ा और संपत्ति। विलेख के अनुसार सीमाएं: उत्तर: बाबूलाल जैन का घर, दक्षिण: छिन्नमल जैन की खुली भूमि, पूर्व: सुभाष नगर वाई संख्या 15 की सड़क, पश्चिम: छिन्नमल जैन का घर। संपत्ति-2: 5000 वर्ग फुट के आवासीय सह वाणिज्यिक भवन सहित भूमि का वह पूरा टुकड़ा और संपत्ति। न्यू खसरा संख्या 1/4/2/2 और पुराने खसरा संख्या 1/4/2/2 के अंतर्गत 0.0470 अक्षय्य क्षेत्रफल का खुला प्लूड, जिसमें उससे जुड़ी सभी संपत्तियां शामिल हैं, ग्राम मगवानपुर, तहसील अग्र, जिला सोहोरा, राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है और पुस्तक संख्या 1ए, खंड संख्या 1555, क्रमांक संख्या 380 और पृष्ठ संख्या 70 से 73 के अनुसार धर्मदेव जैन के नाम पर है। विलेख के अनुसार सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर: विक्रता की भूमि, दक्षिण: विक्रता की भूमि, पूर्व: समीर खा की भूमि, पश्चिम: कच्चा रास्ता।
दिनांक: 22/01/2026 स्थान: सोहोरा अधिकृत अधिकारी: मेसर्स ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

घरों पर सोलर पैनल न लगाने पर शिक्षकों का रुकेगा वेतन: बीएसए लखनऊ. प्रधानमंत्री सूर्यपथ/सौर योजना के तहत जिलों में शिक्षकों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाने को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्ती बदा दी है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों से व्यक्तिगत रूप से सोलर लगाने जाने की शर्त-प्रतिशत सूचना/प्रमाणपत्र तत्काल उपलब्ध कराएं. वहीं पैनल न लगवाने वाले शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा।

कच्चा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)	सूचना संख्या	सूचना का विवरण	अंतिम बidding तिथि	कच्चा तिथि
श्रीमती अश्विनी देवरी (अर्धसंपत्ति) के अंतर्गत अचल संपत्तियों को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एप्सायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को विपरीत रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के व्याज, शुल्क और लागत आदि की पसंदी के लिए "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर "अंतिम 5 ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पंजित, नीचे विस्तार से बताया गया है।	श्रीमती अश्विनी देवरी (अर्धसंपत्ति) के अंतर्गत अचल संपत्तियों को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एप्सायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को विपरीत रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के व्याज, शुल्क और लागत आदि की पसंदी के लिए "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर "अंतिम 5 ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पंजित, नीचे विस्तार से बताया गया है।	श्रीमती अश्विनी देवरी (अर्धसंपत्ति) के अंतर्गत अचल संपत्तियों को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एप्सायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को विपरीत रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के व्याज, शुल्क और लागत आदि की पसंदी के लिए "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर "अंतिम 5 ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पंजित, नीचे विस्तार से बताया गया है।	श्रीमती अश्विनी देवरी (अर्धसंपत्ति) के अंतर्गत अचल संपत्तियों को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एप्सायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को विपरीत रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के व्याज, शुल्क और लागत आदि की पसंदी के लिए "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर "अंतिम 5 ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पंजित, नीचे विस्तार से बताया गया है।	श्रीमती अश्विनी देवरी (अर्धसंपत्ति) के अंतर्गत अचल संपत्तियों को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एप्सायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को विपरीत रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के व्याज, शुल्क और लागत आदि की पसंदी के लिए "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर "अंतिम 5 ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पंजित, नीचे विस्तार से बताया गया है।
श्रीमती अश्विनी देवरी (अर्धसंपत्ति) के अंतर्गत अचल संपत्तियों को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एप्सायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को विपरीत रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के व्याज, शुल्क और लागत आदि की पसंदी के लिए "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर "अंतिम 5 ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पंजित, नीचे विस्तार से बताया गया है।	श्रीमती अश्विनी देवरी (अर्धसंपत्ति) के अंतर्गत अचल संपत्तियों को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एप्सायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को विपरीत रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के व्याज, शुल्क और लागत आदि की पसंदी के लिए "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर "अंतिम 5 ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पंजित, नीचे विस्तार से बताया गया है।	श्रीमती अश्विनी देवरी (अर्धसंपत्ति) के अंतर्गत अचल संपत्तियों को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एप्सायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को विपरीत रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के व्याज, शुल्क और लागत आदि की पसंदी के लिए "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर "अंतिम 5 ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पंजित, नीचे विस्तार से बताया गया है।	श्रीमती अश्विनी देवरी (अर्धसंपत्ति) के अंतर्गत अचल संपत्तियों को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एप्सायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को विपरीत रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के व्याज, शुल्क और लागत आदि की पसंदी के लिए "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर "अंतिम 5 ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पंजित, नीचे विस्तार से बताया गया है।	श्रीमती अश्विनी देवरी (अर्धसंपत्ति) के अंतर्गत अचल संपत्तियों को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एप्सायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को विपरीत रखी गई निम्नलिखित संपत्ति, बकाया राशि और आगे के व्याज, शुल्क और लागत आदि की पसंदी के लिए "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर "अंतिम 5 ई-नीलामी" के माध्यम से बेची जाएगी, जैसा कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पंजित, नीचे विस्तार से बताया गया है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 20, आरआर टॉवर, अन्ना तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना
निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित संपत्तियों का प्रयोग करने के लिए, अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति पर प्रत्येक खाते में उल्लिखित तिथियों से कच्चा कर लिया है। ऋणकर्ताओं/गिरवीदारों/गारंटर्स